भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4944

उत्तर देने की तारीख : 01.04.2025

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना

4944. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह योजना गुजरात राज्य में क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात राज्य में ऐसी योजना के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं, नामत: दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) - जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) - जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर डीडीआरसी की स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।

(ख) : जी, हां। डीडीआरएस योजना गुजरात राज्य में क्रियाशील है।

(ग) : गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशि और लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	जारी की गई निधियां (लाख रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या
2021-22	120.66	447
2022-23	72.77	437
2023-24	95.19	187
2024-25 (27.03.2025 की स्थिति के अनुसार)	124.09	215

(घ) : डीडीआरएस के अंतर्गत राज्यवार निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार की सिफारिश, लेखापरीक्षित लेखा और योजना मानदंडों के आधार पर गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (जीआईए) जारी किया जाता है।

*****